



कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी०ए०डी० कार्यालय, कोटा
Website : www.kotamc.org, Email : nkksouth@gmail.com,

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:- ननि (दक्षिण) को/रा.मे.द./2025/7682-83

दिनांक:- 01/09/25
(मेला-आवश्यक)

—:: मेला दशहरा 2025 ::—

—:: नीलामी आम-सूचना (ईस्ट/नोर्थ जोन) ::—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 132वाँ राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 में मेला अवधि 22.09.2025 से 17.10.2025 तक आयोजित किया जा रहा है। मेला समिति के निर्णय उपरांत स्थायी/अस्थायी आवंटन पश्चात् शेष रही ईस्ट/नोर्थ जोन में दुकान/भूमि हेतु बंद लिफाफों में (टेण्डर बॉक्स के माध्यम से ऑफलाईन) निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्थान उक्त स्थान पर निर्धारित तिथि दिनांक 10.09.2025 एवं 11.09.2025 को प्रातः 11 बजे से साँय 4:30 बजे तक अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में दर्ज कर वांछित दस्तावेजों के साथ ए ब्लॉक में स्थापित टेण्डर बॉक्स में डाल सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 11.09.2025 को साँय 5:00 बजे पश्चात् मेला अध्यक्ष, अति. मेलाधिकारी, मेला प्रभारी एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी। दुकान/भूमि के नम्बर नगर निगम कोटा दक्षिण प्रथम तल कमरा नं. 237 के सूचना पट्ट पर चस्पा है।

नोट:-

1. आवेदन फार्म वितरण (राशि 100/-) - कमरा नं.126 हेल्पलाईन केशियर कोटा दक्षिण।
2. आधार प्रतिलिपि एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
3. सम्बन्धित सिक्वोरिटी राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम देय होगा।
4. उच्चतम निविदा प्राप्त दर पर 18 प्रतिशत जीएसटी, फायर शुल्क, सफाई शुल्क एवं नल कनेक्शन इच्छुक व्यापारी से शुल्क 8000 प्रति दुकान/भूमि देय होगा।
5. समस्त दस्तावेज बंद लिफाफे में बॉक्स में डालें।
6. न्यूनतम दर राशि से अधिक राशि प्राप्त होने पर ही टेण्डरदाता को सफल माना जावेगा।
7. उक्त अस्थाई दुकान/भूमि वर्ष 2025 मेला दशहरा तक के लिए मान्य होगी।
8. दुकान/भूमि जिस स्थिति में उसी स्थिति में ही देय होगी। राशि जमा होने के उपरांत कोई राशि रिफण्ड नहीं की जावेगी।
9. टेण्डर निरस्त करने का अधिकार मेलाध्यक्ष/मेलाधिकारी को निहित होगा।

उप्रायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा दक्षिण

क्रमांक:- ननि (दक्षिण) को/रा.मे.द./2025/7682-83

दिनांक:- 01/09/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित कोटा संस्करण के 03 राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति दिनांक 10.09.2025 के अंक में सीधा प्रकाशित करावें, तथा इनकी प्रति राजस्व अनुभाग दक्षिण को भिजवावें।
2. गार्ड फाईल।

उप्रायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा दक्षिण